# सेल 'महारत्न' कम्पनी बनी

**भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) को 'महारत्न' कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया है। इस संबंध में 19 मई, 2010 को एक ज्ञापन जारी किया गया। सेल के साथ तीन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 'महारत्न' घोषित किया गया है, ये कंपनियां हैं** – इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड।

सरकार द्वारा 4 फरवरी को शुरू की गयी 'महारत्न' योजना का उद्देश्य जानी–मानी "बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निदेशक मण्डलों को" स्वदेशी एवं विश्व बाजारों में अपने कार्यों का विस्तार करने के अधिकार देना है।

उल्लेखनीय है कि सेल ने "महारत्न" का दर्जा पाने के लिए आवश्यक सभी मानकों को पूरा किया हैं। ये मानक इस प्रकार हैं :

| **क्र.सं.** | **डीपीई द्वारा निर्धारित मापदण्ड** | **सेल की स्थिति** |
|---|---|---|
| क. | नवरत्न दर्जा | 1997 से |
| ख. | भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सेबी नियमनों के अधीन न्यूनतम निर्धारित पब्लिक शेयरहोल्डिंग के साथ लिस्ट की गई हो | 1992 से |
| ग. | पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार | पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 44,475 करोड़ रु. है :<br>2008-09 - 48,681 करोड़ रु.<br>2007-08 - 45,555 करोड़ रु.<br>2006-07 - 39,189 करोड़ रु. |
| घ. | पिछले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक निवल मूल्य | पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य 22,724 करोड़ रु. है :<br>31.3.09 को - 27,984 करोड़ रु.<br>31.3.08 को - 23,004 करोड़ रु.<br>31.3.07 को - 17,184 करोड़ रु. |
| ङ | पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर पश्चात् औसत वार्षिक शुद्ध लाभ | पिछले 3 वर्षों में कर पश्चात औसत शुद्ध लाभ 6,638 करोड़ रु. है :<br>2008-09 - 6,175 करोड़ रु.<br>2007-08 - 7,537 करोड़ रु. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2006-07 - 6,202 करोड़ रु. |
| च. | महत्वपूर्ण विश्वव्यापी उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन कारोबार | ➔ सेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डिवीजन, यूरोपीय यूनियन, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशियाई आदि देशों सहित लगभग 20 देशों को निर्यात करता है। सेल के चीन और नेपाल में भी कार्यालय हैं।<br><br>➔ सेल ने अन्य नवरत्न कंपनियों–एनटीपीसी, एनएमडीसी, सीआईएल और आरआईएनएल के साथ अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यमों में भागीदारी की है। इसका उद्देश्य विदेशों की कोयला खानों का अधिग्रहण तथा उनमें इक्विटी प्राप्त करना है।<br><br>➔ सेल की एक परामर्शदात्री डिवीजन है जो विश्व की अनेक इस्पात कंपनियों, विशेषकर मध्य–पूर्व में परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध करा रही है।<br><br>➔ सेल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, अमरीका आदि देशों से कोकिंग कोयले का प्रमुख आयातक है।<br><br>➔ सेल अपनी विस्तार योजनाओं में अति आधुनिक टेक्नोलॉजियां अपना रहा है जिससे सेल की तप्त धातु क्षमता वर्तमान 140 लाख टन से बढ़कर 260 लाख टन हो जाएगी। इस विस्तार योजना के लिए प्रमुख उपस्कर और टेक्नोलॉजियां विदेशों से मंगाई जा रही हैं। |

सेल को एक महारत्न कंपनी के तौर पर निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। शर्त यह है कि सेल निदेशक मण्डल में आवश्यक संख्या में गैर–कार्यवाहक निदेशकों को स्थान दिया जाएगा :

1. सेल नई मदों की खरीद या पुरानी के स्थान पर नई मदें लगाने पर बिना किसी मौद्रिक सीमा के पूंजीगत व्यय कर सकता है।

2. टेक्नोलॉजी से संबंधित अथवा प्रगति के लिए कंपनी संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकती है।

3. खरीद या किसी अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत टेक्नोलॉजी अथवा तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकती है।

4. लाभ केन्द्रों की स्थापना, भारत/विदेशों में कार्यालय खोलने, नई गतिविधि केन्द्र तैयार करने आदि के लिए संगठन का पुनर्गठन कर सकती है।

5. कंपनी ई–9 स्तर तक निदेशक मण्डल से नीचे के पदों का सृजन तथा उन्हें समाप्त कर सकती है। सेल निदेशक मण्डल को सभी नियुक्तियां, आंतरिक स्थानान्तरण तथा निदेशक मण्डल के नीचे के पदों के पदनामों में परिवर्तन करने का अधिकार है।

6. कार्मिक तथा मानव संसाधन प्रबंधन व प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और उनके कार्यान्वयन का अधिकार।

7. स्वदेशी पूंजी बाजारों से ऋण उठाने और आरबीआई/आर्थिक कार्य विभाग, जैसा भी आवश्यक हो, की स्वीकृति से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण प्राप्त कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण इस्पात मंत्रालय की मार्फत लेना होगा।

8. वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकती है तथा देश या विदेश में विलय तथा अधिग्रहण करने में समर्थ है, शर्त यह है कि यह किसी एक परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सीमा में तथा कंपनी के निवल मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक न हो। सभी परियोजनाओं में कुल मिलाकर निवेश की अधिकतम सीमा सेल के निवल मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक न हो। यद्यपि सेल ये निवेश सामान्य रूप से सीधे करेगा परन्तु ऐसी स्थिति में जहां निवेश एक सहायक कंपनी की मार्फत किसी अन्य संयुक्त उद्यम में किया जाए तथा इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए तो उक्त शर्तें सेल के संदर्भ में रहेंगी।

9. सेल निदेशक मण्डल को विलय एवं अधिग्रहण के संबंध में अधिकार होंगे, शर्त यह है कि : (क) यह विकास योजना के अनुसार तथा सेल के मुख्य कार्य क्षेत्र में किया जाए, और (ख) आर्थिक कार्यों से संबंधित कैबिनेट समिति को विदेशों में निवेश की स्थिति में सूचित किया जाता रहे। इसके अतिरिक्त, विलय तथा अधिग्रहण के अधिकारों का उपयोग इस प्रकार हो कि इससे सेल के सार्वजनिक उद्यम का स्वरूप न बदल जाए।

10. सेल अध्यक्ष को आपात स्थिति में इस्पात मंत्रालय में सचिव को सूचित करते हुए कार्यपालक निदेशकों के कारोबारी दौरे की स्वीकृति पांच दिन तक करने का अधिकार है (अध्ययन दौरों, गोष्ठियों आदि को छोड़ कर)।

11. धारक कंपनियों को सम्पत्ति के स्थानांतरण, नई इक्विटी जारी करने तथा सहायक कंपनियों में शेयरहोल्डिंग त्यागने का अधिकार है, शर्त यह है कि यह अधिकार केवल उन सहायक कंपनियों के संबंध में होगा जो धारक कंपनी द्वारा नवरत्न/महारत्न केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत बनाई जाती हैं और यह प्रावधान किया जाता है कि :

क. सम्बद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सहायक कंपनी सहित) का स्वरूप सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदलेगा, और

ख. इन महारत्न सार्वजनिक उद्यमों को अपनी सहायक कंपनियों से अलग होने से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कार्यनिष्पादन की अंतर–मंत्रालय समिति द्वारा हर वर्ष तथा इसके बाद कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्षस्थ समिति द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाएगी और महारत्न दर्जे को बनाए रखने/वापस लेने के बारे में सिफारिश की जाएगी।